फार्म सं. 33

नैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्राप्त

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY

A Central University established by an Act of Parliament

(Formerly Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Deemed to be University)

(जुलाई, 2016 से प्रभावी)

निष्पत्ति आधारित वार्षिक स्वमूल्यांकन एवं शैक्षणिक कार्य निष्पादन संकेतक (API) प्रतिवेदन

शैक्षणिक सत्र जुलाई 20..... से जून 20.....

(खण्ड – क : सामान्य सूचनायें एवं शैक्षणिक योग्यतायें)

1. नाम :.....

2. पिता/पति का नाम :.....

3. जन्म–तिथि :.....

4. एससी/एसटी/ओबीसी/विकलांग/सामान्य श्रेणी :.....

5. विभाग एवं संकाय :.....

6. (क)प्रथम नियुक्ति तिथि, पद एवं शैक्षणिक ग्रेड पे :.....

:.....

ख) विगत पदोन्नति की तिथि, पद एवं शैक्षणिक ग्रेड पे :.....

:.....

(ग) वर्तमान पद एवं शैक्षणिक ग्रेड पे :.....

(घ) वर्तमान पता :.....

:.....

:.....

(ङ) दूरभाष नं. :..... सचल दूरभाष नं.....

(च) ई–मेल :.....

8. क्यागत वर्ष ..... के लिये अचल सम्पत्ति का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है? :.....

9. प्रतिवेदित वर्ष में प्राप्त की गई शैक्षणिक योग्यता, यदि कोई हो तो .....

शैक्षणिक योग्यता	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	अंक (प्रतिशत में)	श्रेणी/ग्रेड	विषय

10. **शिक्षण अनुभव : स्नातकोत्तर (वर्षों में).....** **स्नातक (वर्षों में)**

11. **शोध–अनुभव (पी–एच.डी./एम.फिल. में बिताये वर्षों के अतिरिक्त)**

12. **विषय विशेषज्ञता का क्षेत्र :**

13. **एच.आर.डी.सी.–यू.जी.सी. द्वारा आयोजित अभिविन्यास/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में सहभागिता का विवरणः**

पाठ्यक्रम का नाम एवं विषय	प्रायोजक	अवधि (दिनांक/वर्ष सहित)

प्रतिवेदक का हस्ताक्षर.....

तिथि .....

खण्ड–ख–शैक्षणिक निष्पत्ति सूचकांक

निर्देश : शिक्षकों द्वारा आवश्यक न्यूनतम एपीआई अंक पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग–अलग हैं। स्व–आकलन अंक तटस्थ रूप से सत्यापनीय अभिलेख पर आधारित होने चाहिए। इसे परीक्षणोपरान्त मूल्यांकन/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

श्रेणी । : शिक्षण, ज्ञानार्जन और मूल्यांकन संबंधी क्रियाकलाप

नोट :–

1. प्रति सप्ताह 16/14/14 घंटे में व्याख्यान/अनुशिक्षण/प्रैक्टिकल्स/प्रोजेक्ट पर्यवेक्षण/क्षेत्रीय कार्य शामिल हैं।
2. न्यूनतम 75 प्रतिशत कट–ऑफ निर्धारित किया गया है जिसके नीचे इन उप–श्रेणियों में कोई भी प्राप्तांक सम्मिलित नहीं किये जा सकते हैं।
3. स्थापित अकादमिक एवं शिक्षण परम्पराओं के अनुरूप तथा छात्र केन्द्रित, देख–रेख को प्रतिपुष्ट करने के उद्देश्य से अध्यापकों को, कक्षागत अध्यापन की संरचना के अतिरिक्त, छात्रों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से इस प्रक्रिया में छात्रों की सुरक्षा, मार्गदर्शन एवं परामर्श को सम्मिलित किया जा सकता है। पृथक् रूप से अशक्त छात्रों की आवश्यकताओं को चिह्नित करने के लिए अथवा उनकी आवश्यकताओं एवं उनके अकादमिक निष्पादन के लिए अथवा उनकी असमर्थता दूर करने के लिए अध्यापकसर्वाधिक उपयुक्त हैं। ऐसे प्रयासों के लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं है और न ही उसे एपीआई प्राप्तांकों के परिप्रेक्ष्य में अथवा परिकलन में सप्ताहों अथवा महीनों के रूप में आकलित किया जा सकता है। तथापि अध्यापकों द्वारा ऐसे कार्यों द्वारा आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण गतिविधियों को पूरा किया जाना चाहिए।
4. श्रेणी । : शिक्षण, ज्ञानार्जन और मूल्यांकन संबंधी क्रियाकलापके अन्तर्गत न्यूनतम 75 प्रतिशत वास्तविक अंक आवश्यक है, जिसके नीचे इन उप–श्रेणियों के लिये कोई भी प्राप्तांक सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

क. प्रत्यक्ष शिक्षण

(अधिकतम अंक : सहायक आचार्य–70, सह–आचार्य एवं आचार्य–60)

क्रम सं.	अध्यापित प्रश्नपत्र का नाम	स्तर	शिक्षण विधि	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घण्टे	वास्तविक अंक*
कुल वास्तविक अंक					

***नोटः– 1. प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घण्टे ÷ 7.5 (सहायक आचार्य)**

2. प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घण्टे ÷ 7.75 (आचार्य एवं सह–आचार्य)

ख) परीक्षा सम्बन्धी कार्य

(अधिकतम अंक : सहायक आचार्य एवं सह–आचार्य–20, आचार्य–10)

क्रम सं.	आबंटित परीक्षा सम्बन्धी कार्य	स्तर	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घण्टे	वास्तविक अंक*
	1. प्रश्न–पत्र तैयार करना,			
	2. पर्यवेक्षण			
	3. उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन			
	4. अन्य परीक्षा सम्बन्धी कार्य			

*नोटः वास्तविक अंक =प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10

ग) नवोन्मेषी शिक्षण

(अधिकतम अंक : सहायक आचार्य–10, सहआचार्य–15 एवं आचार्य–20)

क्रम सं.	नवोन्मेषी शिक्षण सम्बन्धी कार्य	स्तर	शिक्षण विधि	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घण्टे	वास्तविक अंक*
1	ज्ञानार्जन प्रणालियां,				
2	विषयवस्तु/पाठ्यक्रमों आदि को अद्यतन करना				
3	परामर्श(Mentoring) आदि				

*नोटः वास्तविक अंक =प्रति शैक्षणिक वर्ष में व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10

श्रेणी I में कुल अंक (क+ख+ग)= .....

श्रेणी ।। : व्यावसायिक विकास, सह–पाठ्यक्रम और विस्तारण क्रियाकलाप

शिक्षक के स्व–आकलन पर आधारित, श्रेणी दो एपीआई अंकों को व्यावसायिक विकास, सह–पाठ्यक्रम और विस्तारण क्रियाकलापों और संबंधित योगदानों के लिए प्रस्तावित किया गया है। स्व–आकलन तटस्थ रूप से सत्यापनीय अभिलेखों पर आधारित होने चाहिए। नीचे दी गई तालिका में क्रियाकलापों और एपीआई अंकों के समूह दिये गये है ं।

श्रेणी दो–क

श्रेणी दोक	क्रियाकलाप की प्रकृति	अधिकतम एपीआई अंक (15)	वास्तविक अंक*
(i)	छात्र संबंधी सह–पाठ्यक्रम, विस्तारण और क्षेत्र आधारित कियाकलाप। विषय संबंधी सह–पाठ्येतर गतिविधियां (उदाहरणार्थ उपचारात्मक कक्षायें, करियर परामर्श, अध्ययन दौरा, छात्र संगोष्ठी और अन्य आयोजन, आदि)		
(ii)	अन्य सह–पाठ्येतर गतिविधियां (सांस्कृतिक, खेलकूद, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी. आदि)		
(iii)	विस्तारण और प्रसारण क्रियाकलाप (सार्वजनिक/प्रसिद्ध व्याख्यान/चर्चा/संगोष्ठियां आदि)		

नोट :–वास्तविक अंक=प्रति शैक्षणिक वर्ष का उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷ 10

श्रेणी दो–ख

श्रेणी दोख	क्रियाकलाप की प्रकृति	अधिकतम एपीआई अंक (15)	वास्तविक अंक
(i)	कारपोरेट जीवन के प्रति योगदान और शैक्षिक और प्रशासनिक समितियों तथा उत्तरदायित्वों में भागीदारी के माध्यम से विभाग और संस्था का प्रबंधन :–		
	प्रशासनिक उत्तरदायित्व (इसमें संकाय प्रमुख/प्राचार्य/सभापति/संयोजक/प्रभारीशिक्षक/अन्य समान ड्यूटी जिनके निस्तारण हेतु नियमित कार्यालय आने की आवश्यकता होती है वे शामिल हैं)		
(ii)	अध्ययन बोर्ड, अकादमिक एवं प्रशासनिक समितियों में भागीदारी।		

नोट :–वास्तविक अंक=प्रति शैक्षणिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷ 10

श्रेणी दो–ग

श्रेणी दो ग	क्रियाकलाप की प्रकृति	अधिकतम एपीआई अंक (15)	वास्तविक अंक
	व्यावसायिक विकास क्रियाकलाप (यथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों, लघु अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, औद्योगिक अनुभव, चर्चा में भाग लेना, पुनश्चर्या/संकाय विकास पाठ्यक्रमों में व्याख्यान देना, प्रसार, और सामान्य लेख तथा अन्य कोई योगदान)		

नोट :–वास्तविक अंक=प्रति शैक्षणिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷ 10

श्रेणी ।। में कुल अंक (क+ख+ग)= .....।

श्रेणी–III : शोध और शैक्षणिक योगदान :

शिक्षक के स्व–आकलन पर आधारित, एपीआई अंकों को शोध और शैक्षणिक योगदान हेतु प्रस्तावित किया गया है। स्व–आकलन अंक सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए।

श्रेणी III शोध–पत्रों का प्रकाशन

क(1)वि.अ.आ. द्वारा अधिसूचित संदर्भित पत्रिकाएं # (25 अंक प्रति प्रकाशन)

क्रम सं.	प्रकाशन का शीर्षक पृष्ठ संख्या सहित	सन्दर्भित पत्रिका एवं वर्ष	लेखक/सहलेखक	ISSN/ISBN	अंक

क (2) वि.अ.आ. द्वारा अधिसूचित अन्य प्रतिषिठत पत्रिकाएं#(10अंक प्रति प्रकाशन)

क्रम सं.	प्रकाशन का शीर्षक पृष्ठ संख्या सहित	सन्दर्भित पत्रिका एवं वर्ष	लेखक / सहलेखक	ISSN/ISBN	अंक

श्रेणी III(ख) पुस्तक / पुस्तकों में प्रकाशित अध्याय

श्रेणी	क्रियाकलाप	शिक्षक हेतु अधिकतम अंक
III(ख)	1.अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं उसकी वेबसाइट पर दर्शायी गई आईएसबीएन / आईएसएसएन(ISBN/ISSN)संख्या सहित पाठय / संदर्भ पुस्तकें। सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा।	एकल लेखक हेतु प्रति पुस्तक 30
	2.राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विश्वविद्यालय से अनुमोदित राज्य / केन्द्र सरकार के प्रकाशन एवं उस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दर्शायी गई आईएसबीएन / आईएसएसएन (ISBN/ISSN)संख्या सहित विषयगत पुस्तकें। सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा।	एकल लेखक हेतु प्रति पुस्तक 20
	3.विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एवं उसकी वेबसाइट पर अन्य स्थानीय रचनाकारों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें जो आईएसबीएन / आईएसएसएन (ISBN/ISSN) संख्या सहित हैं। सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा।	
	4.विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एवं उसकी वेबसाइट पर दर्शायी गयी आईएसबीएन / आईएसएसएन (ISBN/ISSN) संख्या सहित पुस्तकों के अध्याय जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किये गये हैं।	एकल लेखक हेतु प्रति पुस्तक 15
		अंतर्राष्ट्रीय–प्रति अध्याय 10 राष्ट्रीय–प्रति अध्याय 5

पुस्तक / पुस्तकों में प्रकाशित अध्याय

क्रम सं.	शीर्षक, वर्ष, पृष्ठ संख्या सहित	पुस्तक शीर्षक / संपादक एवं प्रकाशक	प्रकार	ISSN/ISBN	लेखक / सहलेखक	अंक

श्रेणी III(ग) शोध परियोजनाएं

श्रेणी	क्रियाकलाप	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक हेतु अधिकतम अंक
III(ग) (i)	**प्रायोजित परियोजनाएं** **1.** रु. 5.0 लाख से अधिक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	20 प्रति परियोजना
	2. रु. 3.0 लाख से रु. 5.0 लाख तक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	15 प्रति परियोजना
	3. रु. 1.0 लाख रु. से रु. 3.0 लाख तक वाली लघु परियोजनाएं	10 प्रति परियोजना
(ii)	**परामर्शी परियोजनाएं** **1.**न्यूत्तम रुपए 2.0 लाख की राशि के साथ अन्य राषि को जुटाया गया।	प्रति रुपये 10.0 लाख और रुपये 2.0 लाख हेतु क्रमशः 10
(iii)	**परियोजना निष्कर्ष/ निर्गत** **1.** प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय निकाय जैसे डब्लू एचओ/यूएनओ/यूनेस्को/यूनिसेफ (WHO/UNO/UNESCO/UNICEF) इत्यादि एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के लिए तैयार प्रमुख निति संबंधी दस्तावेज।	प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्गत अथवा पेटेण्ट के लिए 30 तथा राष्ट्रीय स्तर के निर्गत अथवा पेटेंट के लिए 20 प्रमुख नीति संबंधी दस्तावेजः अन्तर्राष्ट्रीय निकाओं–30, केन्द्रीय सरकार– 20, राज्य सरकार– 10, स्थानीय निकाय–5

शोध परियोजनाएं

क्रम सं.	शीर्षक	अभिकरण	अवधि	गतिशील/पूर्ण	अनुदानित राशि	निष्कर्ष रूप में पॉलिसी डाक्यूमेंट/ पेटेंट का	अंक

श्रेणी III(घ) शोध मार्गदर्शन

श्रेणी	क्रियाकलाप	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक हेतु अधिकतम अंक
III(घ)(i)	**एम. फिल** **1.** उपाधि प्रदान की गई	5 प्रति उम्मीदवार
III(घ)(ii)	**पीएच.डी.** **1.** उपाधि प्रदान की गई/शोधप्रबंध प्रस्तुत किया गया।	15/10 प्रति उम्मीदवार

शोध मार्गदर्शन

क्रम सं.	छात्र नाम	जमा किया गया शोध प्रबन्ध	प्रदत्त उपाधि	API अंक

श्रेणी III(ड) अध्येतावृत्तियाँ, पुरस्कार और सम्मेलनों/संगोष्ठियों में दिये गये आमंत्रण व्याख्यान

श्रेणी	क्रियाकलाप	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक हेतु अधिकतम अंक
III(ड)(i)	**अध्येतावृत्तियाँ/ पुरस्कार**	
	1. अकादमिक निकाय/सभाओं से प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	15 प्रति पुरस्कार/ 15 प्रति अध्येतावृत्ति।
	2. अकादमिक निकाय/सभाओं से प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	10 प्रति पुरस्कार/ 10 प्रति अध्येतावृत्ति।
	अकादमिक निकायों/सभाओं से प्राप्त राज्य/विश्वविद्यालय स्तर के पुरस्कार।	5 प्रति पुरस्कार
III(ड)(ii) इस उप–श्रेणी के अन्तर्गत अंकों को किसी भी आकलन अवधि हेतु श्रेणी तीन के लिये निर्धारित न्यूनतम के 20% तक सीमित किया जायेगा।	**आमंत्रण व्याख्यान/पत्र**	
	1. अन्तर्राष्ट्रीय	7 प्रति व्याख्यान/ 5 प्रति प्रस्तुत पत्र
	2. राष्ट्रीय स्तर	5 प्रति व्याख्यान/ 3 प्रति प्रस्तुत पत्र
	3. राज्य/विश्वविद्यालय स्तर	3 प्रति व्याख्यान/ 2 प्रति प्रस्तुत पत्र

अध्येतावृत्तियाँ, पुरस्कार

कम सं.	पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	संस्था	वर्ष	स्तर	API अंक

सम्मेलनों/संगोष्ठियों में दिये गये आमंत्रण व्याख्यान

कम सं.	व्याख्यान/प्रस्तुत पत्र का शीर्षक	आयोजक संस्था	दिनांक	स्तर	API अंक

श्रेणी III(च) ई–लर्निंग परिदान प्रक्रिया /सामग्री का विकास

श्रेणी	क्रियाकलाप	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक हेतु अधिकतम अंक	वास्तविक अंक*
III(च)	ई–लर्निंग परिदान प्रक्रिया /सामग्री का विकास	10 प्रतिमापांक	

श्रेणी ।। में कुल अंक (क+ख+ग+घ+ड.+च)=

नोट :(1) जहां कहीं भी किसी विशेष विषय से प्रासंगिक हो, संदर्भित(Refereed) पत्रिकाओं में पत्र हेतु एपीआई अंकों को निम्न प्रकार जोड़ा जाएगा जो (एक) 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र– 5 अंकों द्वारा (दो) 1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र–10 अंकों द्वारा (तीन) 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र–15 अंकों द्वारा (चार) 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र–20 अंकों द्वारा (पांच) 10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र–25 अंकों द्वारा। संयुक्त प्रकाशनों हेतु एपीआई की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी– संबंधित शिक्षक द्वारा प्रकाशन की प्रासंगिक श्रेणी हेतु कुल अंकों के, प्रथम और प्रमुख/अनुरुप (Corresponding) लेखक/पर्यवेक्षक/मार्गदर्शक कुल अंकों के 70% को समान रूप से साझा करेंगे और शेष 30% शेष अन्य लेखकों द्वारा समान रूप से साझा किए जाएंगे।

नोट :(2) विश्वविद्यालय पत्रिकाओं को विषयवार रूप से विशेषज्ञ समिति के द्वारा चिन्हित करायेगा, तथा अपनी अनुषंसायें यूजीसी स्थायी समिति की स्वीकृति हेतु, यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रारुप में आयोग को अग्रसारित करेगा। इस सूची में से जो पत्रिकाएं यूजीसी की स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत की गयीं हैं, उन्हें यूजीसी द्वारा अधिसूचित ''प्रत्रिकाओं की सूची'' में सम्मिलित किया जाएगा। विश्वविद्यालय से सूची प्राप्त होने के 60 कार्य दिवस के भीतर यूजीसी की स्थायी समिति अपनी अनुषंसायें प्रस्तुत करेगी। यूजीसी की स्थायी समिति स्वयमेव, ''पत्रिकाओं की सूची'' में सम्मिलित करने के लिए पत्रिकाओं की अनुषंसा करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा धारा 6.0.5 (i) का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

APIअंक का सारांश :

श्रेणी संख्या	श्रेणी का नाम	मूल्यांकित वर्ष का कुल APIअंक
I	शिक्षण–अधिगम और मूल्यांकन से संबंधित क्रियाकलाप	
II	पाठ्य सहगामी, प्रसार और व्यवसायिक विकास संबंधित क्रियाकलाप	
III	शोध और शैक्षणिक योगदान	

अन्य सूचनायें

क्रम सं.	विवरण

उपर्युक्त सभी सूचनाएं मेरे संज्ञान में सत्य है और उनके समर्थन में आवश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न सूची में दिया जा रहा है।

अध्यापक का नाम : .....

पदनाम : .....

हस्ताक्षर : .....

दिनांक : .....

संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची :–

क्र.सं.	सम्बन्धित प्रमाण–पत्र	क्र.सं.	सम्बन्धित प्रमाण–पत्र

विभागाध्यक्षद्वारा मूल्यांकन

(प्रतिवेदन मूल्यांकन वर्ष : .....)

1. **अध्यापक का नाम एवं पद** :.....
2. अध्यापक कीसहभागिता एवं समर्पण :.....
3. अध्यापन की योजना क्षमता और अध्यापन कौशल :.....
4. सत्यनिष्ठता :.....
5. अनुशासनात्मक कार्यवाही / चेतावनी (मूल्यांकित वर्ष में यदि कोई हो) :.....
6. समय–निष्ठता :.....
7. अतिरिक्त क्रियाकलापों में सहभागिता :–
   (अ) विभागीय प्रशासकीय क्रियाकलापों में सहभागिता :.....
   (ब) विभागीय अध्ययन मण्डल एवं शोध समीक्षा समिति में सहभागिता:.....
   (स) शिक्षणेतर गतिविधियों में सहभागिता :.....
   (द) अन्य क्रिया कलापों में सहभागिता (विवरण सहित) :.....
8. **वार्षिक एपीआई का श्रेणीवार तथ्यसंगत मूल्यांकन**

श्रेणी संख्या	**श्रेणी का नाम**	**मूल्यांकित अंक**	**सहमत/असहमत (असहमति प्रमाण सहित स्पष्टीकरण)**
I	शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन संबंधी क्रियाकलाप	(क)---------- अंक (ख) --------- अंक (ग) ---------- अंक	(क) सहमत / असहमत (ख) सहमत / असहमत (ग) सहमत / असहमत
	श्रेणी–I कुल APIअंक	**---------- अंक**	
II	पाठ्य सहगामी, प्रसार और व्यवसायिक विकास संबंधित क्रियाकलाप	(क)---------- अंक (ख) --------- अंक (ग) ---------- अंक	(क)सहमत / असहमत (ख)सहमत / असहमत (ग)सहमत / असहमत
	श्रेणी–II कुल APIअंक	**---------- अंक**	
III	शोध, प्रकाशन एवं शैक्षणिक योगदान	(क)---------- अंक (ख) --------- अंक (ग) ---------- अंक (घ)---------- अंक (ड.) --------- अंक (च) ---------- अंक	(क) सहमत / असहमत (ख) सहमत / असहमत (ग) सहमत / असहमत (घ) सहमत / असहमत (ड.) सहमत / असहमत (च) सहमत / असहमत
	श्रेणी–III कुल APIअंक	**---------- अंक**	सहमत / असहमत

यदि असहमत हैं तो श्रेणी संख्या :
प्रमाण सहित स्पष्टीकरण :

हस्ताक्षर : .....

नाम व पदनाम :.....

विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्ति तिथि :.....

मुहर :..... **तिथि:**.....

संकाय प्रमुख द्वारा मूल्यांकन

(प्रतिवेदन मूल्यांकन वर्ष : .....)

1. **अध्यापक का नाम एवं पद** :.....
2. नियुक्ति तिथि :.....
3. आवेदक के स्व मूल्यांकन की टिप्पणी में किसी विशेष बिन्दू पर प्रतिकूल टिप्पणी यदि कोईहो, तो :.....
4. विभागाध्यक्ष द्वारा किये गये मूल्यांकन पर विशेष टिप्पणी :.....
5. मूल्यांकन सारांश

   क. अध्यापक के कार्यों के विषय में :– (सर्वोत्कृष्ट / सर्वोत्तम / उत्तम / संतोषजनक / असंतोषजनक)

   ख. अध्यापक के चरित्र के विषय में :– (सर्वोत्कृष्ट / सर्वोत्तम / उत्तम / संतोषजनक / असंतोषजनक)

6. अन्य कोई टिप्पणी : .....

   .....

6. वार्षिक एपीआई का श्रेणीवार तथ्यसंगत मूल्यांकन

श्रेणी संख्या	श्रेणी का नाम	मूल्यांकित अंक	सहमत/असहमत (असहमति प्रमाण सहित स्पष्टीकरण)
I	शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन संबंधी क्रियाकलाप	(क)---------- अंक (ख) --------- अंक (ग) ---------- अंक	(क) सहमत / असहमत (ख) सहमत / असहमत (ग) सहमत / असहमत
	श्रेणी–I कुल APIअंक	**---------- अंक**	
II	पाठ्य सहगामी, प्रसार और व्यवसायिक विकास संबंधित क्रियाकलाप	(क)---------- अंक (ख) --------- अंक (ग) ---------- अंक	(क) सहमत / असहमत (ख) सहमत / असहमत (ग) सहमत / असहमत
	श्रेणी–II कुल APIअंक	**---------- अंक**	
III	शोध, प्रकाशन एवं शैक्षणिक योगदान	(क)---------- अंक (ख) --------- अंक (ग) ---------- अंक (घ)---------- अंक (ड.) --------- अंक (च) ---------- अंक	(क) सहमत / असहमत (ख) सहमत / असहमत (ग) सहमत / असहमत (घ) सहमत / असहमत (ड.) सहमत / असहमत (च) सहमत / असहमत
	श्रेणी–III कुल APIअंक	**---------- अंक**	सहमत / असहमत

यदि असहमत हैं तो श्रेणी संख्या :
प्रमाण सहित स्पष्टीकरण :

हस्ताक्षर : .....

मुहर :..... **नाम व पदनाम :**.....

तिथि :..... **संकायाध्यक्ष पद पर नियुक्ति तिथि :**.....

कुलपति की स्वीकृति/अस्वीकृति

कुलपति